भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1789
उत्तर देने की तारीख- 13/02/2023

वन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदाय

1789. श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री रवि किशन:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के वन क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न जनजातीय समुदायों से संबंधित लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन/सर्वेक्षण किया है या करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जनजातीय लोगों के लिए कल्याण योजनाएं शुरू करने के लिए अपनाए गए आधार/मानदण्ड का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) से (ख): भारत के महापंजीयक (रजिस्ट्रार जनरल) और जनगणना आयुक्त का कार्यालय, विभिन्न जनजातीय समुदायों की जनसंख्या सहित देश की जनसंख्या का पता लगाने के लिए दशकीय जनगणना आयोजित करता है। जनगणना में, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को भी अलग से सारणीबद्ध किया जाता है और लिंक (https://censusindia.gov.in/census.website/data/census-tables) में उपलब्ध कराया जाता है।

(ग): सरकार जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) को क्रियान्वित कर रही है जिसे अब अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के रूप में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक रणनीति के रूप में जाना जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41

मंत्रालय/विभाग प्रत्येक वर्ष अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन कौशल विकास, आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए आवंटित कर रहे हैं। राज्य की कुल योजना के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा, राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (जनगणना 2011) के अनुपात में टीएसपी निधियां निर्धारित की जानी चाहिएं।

सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों के तहत आवंटन बढ़ाते हुए तथा स्टार्ट-अप इंडिया और स्टैण्ड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना आदि स्कीमों जैसे नये कार्यक्रम लाते हुए भी सामाजिक समावेश जैसे शिक्षा तथा रोजगार में आरक्षण, लोक सभा, राज्य विधान सभाओं तथा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व, सबसीडाइज्ड अर्थात् आर्थिक सहायता प्राप्त ऋण सुविधाएं, उद्यमशीलता विकास तथा अन्य अवसंरचना विकास कार्यक्रम आदि सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलें भी की हैं|

संवैधानिक सुरक्षा के अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता/ का अधिकार अधिनियम, 2013 जैसे विभिन्न कानूनों के माध्यम से जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए और कदम उठाए गए हैं।

*****